

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

राज्य योजना


सं०-५/निदे०(प्री० मैट्रिक)२६-०६/२०१५- १०६/०१/०३/२०१७-१०६

०१/०३/२०१७

शुद्धि पत्र

राज्य सरकार द्वारा निर्गत आवंटनादेश संख्या-९५ दिनांक-१५/०२/१७ के साथ संलग्न विवरणी-१ के कार्लेम- ६, ७ एवं १० में अंकित "कुट सं०-३४०१" के स्थान पर "विषय शीर्ष-३१०६-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" तथा विवरणी-२ के कार्लेम- ६ एवं ७ में अंकित "कुट सं०-३४०१" के स्थान पर "विषय शीर्ष-३१०६-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" पढा जाय।

२- इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक-५/निदे०-(प्री मैट्रिक)-२६-०६/२०१५- १०६ पटना, दिनांक ०१/०३/२०१७


प्रतिलिपि : (१) विवरणी की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(२) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(३) सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(४) सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, / सभी उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(५) अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा०-५(निदे०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक ०१/३/१७

